

संपादकीय सौगातें बेशुमार

जैसे कि कायास लगाये जा रहे थे कि अंतरिम बजट में तमाम लोकतुभावनी घोषणाएं होंगी, बजट का पिटारा खुला तो लगभग वैसा ही निकला। सौविधानिक रूप से अंतरिम बजट के नियमन पर बोहियों न होने पर सत्तारूढ़ दल की कोशिश होती है कि जनादेश लेने के लिये भौंके का घौंका लगाया जाये। इस मौके का मोदी सरकार ने भरपूर फायदा उठाया। अब तक के सभी आम बजटों में वित्तमंत्री अरुण जेटली जहां सख्त फैसले लेते और किफायती अर्थव्यवस्था चलाने की कवायद करते नजर आते, वहीं उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार देख रहे पीयूष गोयल ने दोनों हाथों से सौगातें बांटी। विपक्ष द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं कि चंद महीनों के बजट को पेश करने के अधिकार की सीमाओं का अति मण करते हुए सरकार ने अपने कार्यकाल का छटा बजट पेशकर दिया। सवाल वैतिकता का भी उठाया जा रहा है कि जब चुनाव निकल हों तो सरकार को वोटरों को लक्षित करके सौगातों का पिटारा खोलने का अधिकार है? क्या सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्ती अवृश्चासन का पालन कर पायेगी? क्या इससे राजकोषीय घटे का संयमन संभव है? क्या यह प्रगतिशील अर्थव्यवस्था को गति देने का वाहक बन पायेगा? ऐसे तमाम यक्ष प्रश्न मुँहबाय खड़े हैं।

निःसंदेह सरकार विशुद्ध विकासवादी नजरिये से हटकर लोकत्याणी सोच की तरफ उन्मुख हुई है। दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को हर साल छ हजार रुपये देने का कदम मानवीय दृष्टिकोण से अझदाता को संबल देने वाला है। हालांकि, विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि पांच सौ रुपये महीने में किसानों का किसान भला होगा। निःसंदेह यह कदम फौरी तौर पर उन किसानों के लिये जरूर लाभकारी है, जो गरीबी की दलदल में फँसकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वैसे भी कई राज्यों में किसानों की सालाना आय बेहद कम है। आयकरदाता कर्मचारी वर्ग की? आयकर में? छूट देने की सनातन मांग को सरकार ने उदारतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की है, मगर इसका क्रियान्वयन तभी होगा, जब नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। कहीं न कहीं मोदी सरकार ने तीन राज्यों के चुनाव में लोकतुभावनी घोषणा के असर को महसूस करके तथा कांग्रेस द्वारा आये दिन की जाने वाली लोकतुभावनी घोषणाओं की काट में अंतरिम बजट का सहारा लिया है। बेहतर होता कि सरकार अपने पिछले बजटों में ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करती। कहीं न कहीं नोटबंदी और जीएसी से लगे जर्जरों पर मोदी सरकार ने इस लोकतुभावने बजट के जरिये मरहम लगाने की कोशिश की है। ये आवेदन वक्त बताएगा कि ये घोषणाएं वोटों में किस हद तक तब्दील होती हैं।

कैरोलिना मारिन के बिना भी ऑल इंग्लैंड में आसान नहीं होगी राहः सिंधु

चेन्नई (आरएनएस)। कहा जा रहा है कि कैरोलिना

ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट

मारिन चोट के कारण ऑल

भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु

ने कहा है कि ऑल

इंग्लैंड चैम्पियनशिप में उनके लिए

चुनौती आसान नहीं होगी। वर्ल्ड

चैम्पियनशिप स्पेन की

कैरोलिना मारिन चोटिल हैं और

माना जा रहा है कि

वह ऑल इंग्लैंड

चैम्पियनशिप में खेलने वाली सभी आसान होते हैं।

चैम्पियनशिप में खेलने वाली अपने विपक्षी उत्तरोंगी। यह चैम्पियनशिप अगले

महीने 6 मार्च से शुरू होगी।

लॉन्च कॉर्ट्रिक्रम में कहा, यह होता है।

हर दिन एक जैसी सब्जी

खाकर मन बोर हो जाता है

और फिर कुछ अलग व

चटपटा बनाने का मन करता

है। अगर आपका मन भी रोज

की सब्जी खाकर भर गया है

और अब आप कुछ मजेदार

खाने के बारे में सोच रहे हैं।

तो बाजार जाने की बजाय घर

पर ही चना मसाला बनाना। यकीन मानिए,

इसे खाने में बाद आपको काफी अच्छा

लगेगा। तो चलिए जानते हैं पंजाबी

स्टाइल में चना मसाला बनाने की विधि के

बारे में-

पंजाबी छोले मसाला बनाने के लिए

सबसे पहले घंटे में पानी, नमक, बेकिंग

सोडा और एक ली बैंड डालकर कुकर में

उबाल लें। 4-5 सीटी आवे के बाद गैस

बंद कर दें और घंटों को प्रेशर कुकर में

ही रहने दें।

पैन में 2 टेबलस्पून धीना डालकर गर्म

करें और फिर इसमें जीरा डालकर भ्रों

है।



इसके बाद इसमें अजवायन, कटी हुई

हरी मिर्च और अदरक डालकर हल्का-सा

भूंत लीजिए।

अब इसमें उबले हुए घंटे, चना-दम्बुतास

नमक, नाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,

गरम मसाला पाउडर, अमरूच पाउडर,

कटे हुए टमाटर और बारीक कटा हुआ

धनिया मिस्य करें।

इसके कम से कम 4-5 मिनट तक

धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें।

जब घंटे पक जाएं तो गैस बंद कर दें।

जब घंटे पक जाएं तो गैस बंद कर दें।

आपके पंजाबी चना मसाला बनकर तैयार

हो जाएगा।

संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म- खाना खजाना- राशिफल

उपभोक्ता के खाते से बिना मंजूरी पैसा निकले तो बैंक जिम्मेदार होंगे: हाईकोर्ट

कोचिंच (आरएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक अपने कस्टमर्स के अकाउंट्स से बिना उनकी अनुमति के रकम निकलने पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। जिस्टिस पी बी सुरेश कुमार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आगे कस्टमर्स एसएमएस अलर्ट का जवाब नहीं देते तो वे बैंक अनधिकृत तौर पर रकम निकलने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि किसी कस्टमर की जिम्मेदारी तय करने के लिए एसएमएस अलर्ट आधार नहीं हो सकता। ऐसे अकाउंट होल्डर भी हो



सकते हैं, जिन्हें नियमित तौर पर एसएमएस अलर्ट देखने की आदत नहीं होती।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)

ने केरल हाई कोर्ट में एक निचली

अदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस आदेश में अनधिकृत तौर पर रकम निकाले जाने के कारण एक कस्टमर को हुए 2.4 लाख रुपये के तुकाराम से जुड़े नुकसान के बिना बचा गया था। कस्टमर ने इस रकम को ब्याज के साथ लौटाने की मांग की थी।

बैंक का कहना था कि कस्टमर को विवादित विद्वान से जुड़े एसएमएस अलर्ट भेजे गए थे और उन्हें अपना अकाउंट तुरंत ब्लॉक करने के लिए निवेदन देना चाहिए था। बैंक की दलील थी कि कस्टमर ने एसएमएस अलर्ट का आदालत के आदेश के खिलाफ अपील की थी। इस आदेश में अनुमति के लिए जिम्मेदारी के लिए जबरदस्ती की मांग की थी।

अनअॉफराइज्ड ट्रांजैक्शंस की जानकारी बैंक को देने और अकाउंट ब्लॉक करने से जुड़े रिजिस्ट्रेशन बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के एक सर्वतुर काजिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह केवल बैंकों को उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी की याद कराता है और इसे कोई नए अधिकार या दायित्व नहीं बनाता। कोर्ट ने कहा कि अगर कस्टमर को धोखेबाजों की ओर से की गई ट्रांजैक्शंस से नुकसान होता है तो इसके बानाने बैंक का रोकने के लिए सिस्टम को सुरक्षित बनाना बैंक का दायित्व है।

तिमाही रोजगार सर्वक्षण का तरीका बदल सकती है सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। नैशनल सेंपल सर्वें अंगरेजी बैंकों पर विचार किया जा रहा है ताकि हर तिमाही में बैंकों से रोजगार के आंकड़ों पर विचार के अवसरों को शामिल किया जा सके और इसके दायरे में सभी संगठनों को लाया जा सके।

क्रिया करने की विचारिता अधिकारी ने लेबर मिनिस्टर के लिए एप्ल ने बुधवार को वैश्विक रिटेल और ऑनलाइन स्टोर